प्रेषक,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

प्रधानाचार्य / निदेशक,
परिषद से पूर्व से सम्बद्ध समस्त,
निजी क्षेत्र की डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग संस्थाएं।

पत्रांकः प्राशिप / परिषद / 2024 / SSSS **लखनऊः दिनांकः** 20/08/2024

विषयः परिषद कार्यालय से पूर्व से सम्बद्ध डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग संस्थाओं हेतु सम्बद्धता विस्तार शुल्क के संबंध में।

महोदय,

परिषद कार्यालय के पत्र सं0ः प्राशिप / परिषद / 2024 / 3573, दिनांकः 07.08.2024 **(छायाप्रति संलग्न)** का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा परिषद से सम्बद्ध समस्त डिप्लोमा इन इंजनियरिंग संस्थाओं को प्राविधिक शिक्षा अनुभाग– 3, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं0ः 95 / 2024 / आई / 694626 / 2024 / 16–3099 / 156 / 2019, दिनांकः 19 जुलाई, 2024 द्वारा निर्धारित सम्बद्धता विस्तार शुल्क का भुगतान यू–राईज पोर्टल के माध्यम से दिनांकः 17.08.2024 करने हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त के क्रम में परिषद से सम्बद्ध समस्त डिप्लोमा इन इंजनियरिंग संस्थाओं को पुनः निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा निर्धारित सम्बद्धता विस्तार शुल्क का भुगतान दिनांकः 26.08.2024 तक अनिवार्य रूप से यू–राईज पोर्टल के माध्यम से करना सुनिश्चित करें। अन्य किसी भी माध्यम से सम्बद्धता विस्तार शुल्क जमा नहीं किया जायेगा। यू–राईज पोर्टल पर जो भी सम्बद्धता विस्तार शुल्क प्रदर्शित हो रहा है, उसी का भुगतान किया जाना है। दिनांकः 26.08.2024 तक सम्बद्धता विस्तार शुल्क जमा न किये जाने पर सत्र 2024–25 का सम्बद्धता विस्तार पत्र जारी नहीं किया जायेगा। यह भी स्पष्ट करना है कि इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित शुल्क प्रति पाठ्यक्रम (प्रति ब्रांच) है।

उपरोक्त के साथ ही यह भी अवगत कराना है कि UP PRIVATE DIPLOMA ENGINEERING AND PHARMACY ASSOCIATION, PRAYAGRAJ द्वारा दिनांकः 12.08.2024 को अद्योहस्ताक्षरी को प्राप्त कराये गये ज्ञापन को प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को दिनांकः 12.08.2024 को संदर्भित कर दिया गया है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव

पृ0सं0ः प्राशिप / परिषद / 2024 / SSS6-S9 **तद्दिनांकः** 20/08/2024

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन को प्रमुख सचिव महोदय के अवगतार्थ।
2. संयुक्त सचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश कानपुर।
4. नोडल अधिकारी यूराईज पोर्टल को उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही हेतु।

(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव

प्रेषक,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

प्रधानाचार्य / निदेशक,
परिषद से पूर्व से सम्बद्ध समस्त,
निजी क्षेत्र की डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग संस्थाएं।

पत्रांकः प्राशिप / परिषद / 2024 / 3573 **लखनऊः दिनांकः** 07/08/2024

विषयः परिषद कार्यालय से पूर्व से सम्बद्ध डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग संस्थाओं हेतु सम्बद्धता विस्तार शुल्क के संबंध में।

महोदय,

परिषद कार्यालय के पत्र सं0: प्राशिप / परिषद / 2024 / 3471, दिनांकः 02.08.2024 **(छायाप्रति संलग्न)** का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा परिषद से सम्बद्ध समस्त डिप्लोमा इन इंजनियरिंग संस्थाओं को प्राविधिक शिक्षा अनुभाग– 3, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं0: 95 / 2024 / आई / 694626 / 2024 / 16–3099 / 156 / 2019, दिनांकः 19 जुलाई, 2024 द्वारा निर्धारित सम्बद्धता विस्तार शुल्क का भुगतान यू–राईज पोर्टल के माध्यम से करने हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त के क्रम में परिषद से सम्बद्ध समस्त डिप्लोमा इन इंजनियरिंग संस्थाओं को पुनः निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा निर्धारित सम्बद्धता विस्तार शुल्क का भुगतान दिनांकः 17.08.2024 तक अनिवार्य रूप से यू–राईज पोर्टल के माध्यम से करना सुनिश्चित करें। अन्य किसी भी माध्यम से सम्बद्धता विस्तार शुल्क जमा नहीं किया जायेगा। दिनांकः 17.08.2024 तक सम्बद्धता विस्तार शुल्क जमा न किये जाने पर सत्र 2024–25 का सम्बद्धता विस्तार पत्र जारी नहीं किया जायेगा।

साथ ही यह भी अवगत कराना है कि परिषद से पूर्व से सम्बद्ध डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाओं को सत्र 2024–25 हेतु सम्बद्धता विस्तार शुल्क अभी जमा नहीं करना है। डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाओं को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से सत्र 2024–25 हेतु अनुमोदन विस्तार प्राप्त होने के उपरान्त सम्बद्धता विस्तार शुल्क जमा करने हेतु अलग से सूचित किया जायेगा।

ऐसी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग संस्थाऐं **(सूची संलग्न)** जिसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम भी संचालित हो रहा है, उन्हें सम्बद्धता विस्तार शुल्क अभी नहीं जमा करना होगा। ऐसी संस्थाओं को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा सत्र 2024–25 हेतु डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम का अनुमोदन विस्तार प्राप्त होने के उपरान्त डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एवं डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम का सम्बद्धता विस्तार शुल्क एक साथ यू–राईज पोर्टल के माध्यम से जमा करना होगा।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव

पृ0सं0: प्राशिप / परिषद / 2024 / 3574-77 **तद्दिनांकः** 07/08/2024

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन को प्रमुख सचिव महोदय के अवगतार्थ।
2. संयुक्त सचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश कानपुर।
4. नोडल अधिकारी यूराईज पोर्टल को उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही हेतु।

(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव